भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली

एनएमए की 432वीं आरजीपी बैठक का कार्यवृत्त

स्थान-तक्षशिला सम्मेलन कक्ष, एनएमए

दिनांक एवं समय- 10 अप्रैल 2024 अपराह्न 03:30 बजे

******

बैठक में निम्नलिखित ने भाग लिया:

1. टी.एन. तिवारी, पूर्णकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण - ***अध्यक्षता में***
2. श्री हेमराज आर कामदार, अंशकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (*वस्तुतः उपस्थित हुए)*
3. प्रो. कैलाश राव, अंशकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (*वस्तुतः उपस्थित हुए)*
4. श्री भास्कर वर्मा, सदस्य सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
5. कर्नल सव्यसाची मारवाहा, निदेशक, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

कार्यसूची 01

431वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

कार्यसूची 02

ऑनलाइन मामले

मामला संख्या 01

(श्री शशिधर एम. हिरेमठ, बगली अस्पताल के सामने, कसागेरी गली, विजयपुर, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने मामले को **खारिज करने का निर्णय लिया**, क्योंकि निर्माण कार्य प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना किया गया था जो एएमएएसआर अधिनियम, 1958 (2010 में यथा संशोधित) के उपबंधों और उसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन है।

मामला संख्या 02

(श्री आर. पुगझेंद्रन, नंबर 2, लिंगम राइस मिल रोड, जमीन पल्लावरम, चेन्नई, तमिलनाडु- 600117)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सर्वे संख्या 50/79, तांबरम सिटी नगर निगम पल्लावरम, चेंगलपट्टू, पल्लावरम, तमिलनाडु में **08.80 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ=1एफ=36.04 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियम एवं शर्तों का पालन करने के अध्यधीन अनुमति प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 03

(श्रीमती ए. सुमति, प्लॉट नं.104बी, यूनियन कार्बाइड कॉलोनी, 4थी स्ट्रीट, जमीन पल्लावरम, चेन्नई, तमिलनाडु-600117)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सर्वे संख्या 36/9 तमिलनाडु, चेंगलपट्टू, पल्लाबन, तांबरम सिटी नगर निगम में **04.80 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ के साथ जीएफ=82.12 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियम एवं शर्तों का पालन करने के अध्यधीन अनुमति प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 04

(श्री एन. थंगावेल, नंबर 4-बी, (पुराना नंबर 8बी) थंगावेल स्ट्रीट एक्सटेंशन, एमके फ्लैट्स, पुझुथिवक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु - 600 091)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने 275/10बी1ए, पी-3, तमिलनाडु, चेंगलपट्टू, पल्लावरम, कीलकट्टलाई में **14.63 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ स्टिल्ट+03 मंजिलों के साथ स्टिल्ट=1एफ=2एफ=3एफ=130.39 वर्गमीटर, हेडरूम क्षेत्र= 20.34 वर्ग मीटर, चारदीवारी=01.52 मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियम एवं शर्तों का पालन करने के अध्यधीन अनुमति प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 05

(श्री डी. शंकरन और श्रीमती वी. हेमामालिनी, नंबर 48, रमना नगर, 2रा मेन रोड, मदंबक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु - 600126)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सर्वे नं. 701/2ए1बी, तमिलनाडु, चेंगलपट्टू, तांबरम, मदंबक्कम में **12.38 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ+2 मंजिलों के साथ जीएफ=1एफ=51.70 वर्गमीटर, 2एफ (पीटी)=31.64 वर्गमीटर, प्रस्तावित हेडरूम=14.24 वर्गमीटर, गेट योजना और ऊंचाई=01.52 मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियम एवं शर्तों का पालन करने के अध्यधीन अनुमति प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 06

(श्री एम. रमेश, नंबर 9ए, 4वीं स्ट्रीट, नेहरू कॉलोनी, पझावंतंगल, चेन्नई, तमिलनाडु-600114)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने 280/16ए1/6, कीलकट्टलाई, पल्लावरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में **15.75 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ स्टिल्ट+3 मंजिलों के साथ स्टिल्ट=1एफ=2एफ=3एफ=119.93 वर्गमीटर, हेडरूम क्षेत्र= 16.44 वर्ग मीटर, चारदीवारी=01.52 मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियम एवं शर्तों का पालन करने के अध्यधीन अनुमति प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 07

(श्री पी. आनंदकृष्णन, एन9 9, थॉमस स्ट्रीट, कडप्पेरी, चेन्नई, तमिलनाडु - 600045)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने मामले को **वापस भेजने का निर्णय लिया** और आवेदक को प्रस्तावित निर्माण के लिए ऊंचाई **07.50 मीटर** (सभी को मिलाकर) तक सीमित करने और सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु के माध्यम से संशोधित भवन योजना के साथ आवेदन फिर से जमा करने के लिए कहा।

मामला संख्या 08

(श्रीमती वी. शशिकला, नंबर 88, 4था क्रॉस स्ट्रीट, नंदीश्वरर कॉलोनी, नंदिवर्मन-गुडुवनचेरी, तमिलनाडु - 603202)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने का निर्णय लिया:**

क) संलग्न संपत्ति दस्तावेज़ में प्रस्तावित स्थल के पते का उल्लेख नहीं है जैसा कि फॉर्म- I / फॉर्म- II में उल्लिखित है।

ख) स्व-घोषणा में आवेदक का नाम टी. शशिकला बताया गया है, जबकि फॉर्म-I/फॉर्म II के अनुसार आवेदक का नाम वी. शशिकला है।

उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद आवेदक सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु के माध्यम से संशोधित प्रस्ताव फिर से जमा कर सकता है।

मामला संख्या 09

(श्री एस. वेंकटेशन और श्रीमती वी. यामिनी, प्लॉट नंबर 122, श्री अनंतनाथन नगर, मन्निवक्कम एक्सटेंशन, मन्निवक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु-48)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने 141/3, कडापेरी, तांबरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में **13.93 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ स्टिल्ट+2 मंजिलों के साथ एफएसआई क्षेत्र 1एफ=2एफ=93.40 वर्गमीटर, गैर एफएसआई क्षेत्र: स्टिल्ट तल का कुर्सी क्षेत्र=93.40 वर्गमीटर, हेडरूम और लिफ्ट क्षेत्र=16.43 वर्गमीटर, चारदीवारी=49.38 मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियम एवं शर्तों का पालन करने के अध्यधीन अनुमति प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 10

(श्री आर. सुरेश, डी.नं. ए2/जी2, ग्राउंड फ्लोर, नं. 7/8, ई.वे.रा. स्ट्रीट, कामराजपुरम, सेलाइयुर, चेन्नई, तमिलनाडु - 600073)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने मामले को **वापस भेजने का निर्णय लिया** और आवेदक को प्रस्तावित निर्माण के लिए ऊंचाई **07.50 मीटर** (सभी को मिलाकर) तक सीमित करने और सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु के माध्यम से संशोधित भवन योजना के साथ आवेदन फिर से जमा करने के लिए कहा।

<u>मामला संख्या 11</u>

(श्री एम. मुरुगादॉस और श्रीमती एस. जयसथ्या, नंबर 16ए/28, सोराथम्मन कोविल स्ट्रीट, साई सत्य अपार्टमेंट, श्रीनिवास नगर, पीरकरनई, चेन्नई, तमिलनाडु - 600063)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने एस नंबर 108/1Q2, पीरकनकरनई, तांबरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में **12.00 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ स्टिल्ट+3 मंजिलों के साथ 1F (वाणिज्यिक)=196.76 वर्गमीटर, 2F (वाणिज्यिक)=99.48 वर्गमीटर, 2एफ (आवासीय)=97.28 वर्गमीटर, 3एफ (आवासीय)=196.76 वर्गमीटर, स्टिल्ट फ्लोर=196.76 वर्गमीटर, हेड रूम=19.77 वर्गमीटर, लिफ्ट रूम=07.82 वर्गमीटर तलक्षेत्र के वाणिज्यिक एवं आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियम एवं शर्तों का पालन करने के अध्यधीन अनुमति प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 12</u>

(श्रीमती एस. राधा और श्री सरवनन, 5बी, कृष्णा रोड, न्यू पेरुंगलथुर, चेन्नई, तमिलनाडु - 63)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने 150ए/पार्ट, पेरुंगलाथुर, तांबरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में **14.34 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ+2 मंजिलों के साथ एफएसआई क्षेत्र: जीएफ=1एफ=2एफ=54.50 वर्ग मीटर, गैर एफएसआई क्षेत्र: हेडरूम और लिफ्ट क्षेत्र=16.69 वर्ग मीटर, चारदीवारी=42.25 मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियम एवं शर्तों का पालन करने के अध्यधीन अनुमति प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 13

(श्री के. शनमुगा सुंदरम, नं.06, कास्पा मुनुस्वामी नायडू, स्ट्रीट, उथिरामेरुर टाउन और तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने आवेदक को प्रस्तावित निर्माण के लिए ऊंचाई 07.50 मीटर (सभी सहित) तक सीमित करने और तदनुसार सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु के माध्यम से संशोधित भवन योजना के साथ आवेदन पुनः जमा करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने का निर्णय लिया।**

मामला संख्या 14

(श्री एम. कुमार और श्री के. जीवेंद्रन, दरवाजा नंबर-54, वल्लर स्ट्रीट, पानापक्कम, नेमेली तालुक, रानीपेट्टई जिला, तमिलनाडु)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने मामले को **वापस भेजने का निर्णय लिया** और आवेदक को प्रस्तावित निर्माण के लिए ऊंचाई 09.22 मीटर (सभी को मिलाकर) तक सीमित करने और सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु के माध्यम से संशोधित भवन योजना के साथ आवेदन फिर से जमा करने के लिए कहा।

मामला संख्या 15

(श्री वी. दुरईपंडी और श्रीमती डी. संगीता, नंबर 4, दुर्गा नगर, तांबरम सेनेटोरियम, चेन्नई, तमिलनाडु-600047)

आवेदन पर विचार करने के बाद मामले को **खारिज करने का निर्णय** लिया गया क्योंकि निर्माण का प्रस्तावित स्थल केंद्रीय संरक्षित स्मारक, "ग्रुप ऑफ केर्न्स, थिरुनीरमलाई, तांबरम, चेंगलपट्टू" के प्रतिषिद्ध क्षेत्र में आता है और एएमएएसआर अधिनियम 1958 की धारा 20 ए (4) के अनुसार प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं है।

मामला संख्या 16

(श्री वी. रविशंकर, नंबर 134, यूनियन कार्बाइड कॉलोनी ज़मीन पल्लावरम, चेन्नई, तमिलनाडु- 600117)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने प्लॉट नंबर 134/टीएस नंबर 12, जमीन पल्लावरम, पल्लावरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में **15.47 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित)

की ऊंचाई के साथ स्टिल्ट+3 मंजिलों के साथ स्टिल्ट=1एफ=2एफ=3एफ=139.40 वर्गमीटर, हेडरूम क्षेत्र=10.78 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियम एवं शर्तों का पालन करने के अध्यधीन अनुमति प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 17

(श्रीमती जे. शांति, प्लॉट एन0.4, पिल्लैयार कोविल स्ट्रीट सट्टापुथुर विल्लुपुरम तमिलनाडु-604204)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने प्लॉट नंबर 39/टी.एस. नंबर 77/2, ज़मीन पल्लावरम, पल्लावरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में **15.54 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ स्टिल्ट+3 मंजिलों के साथ 1F=2F= 3F= 66.54 वर्गमीटर, प्रस्तावित स्टिल्ट तल क्षेत्र=77.88 वर्गमीटर, सीढ़ी केस और हेडरूम क्षेत्र=45.26 वर्गमीटर, चारदीवारी=01.52 मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियम एवं शर्तों का पालन करने के अध्यधीन अनुमति प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 18

(श्री एन. राजेंद्रन, नंबर 29, केधारीश्वरन कोइल स्ट्रीट, उथिरामेरुर टाउन और तालुक, जिला- कांचीपुरम, तमिलनाडु)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने प्रस्तावित निर्माण के लिए आवेदक को ऊंचाई 08.76 मीटर (सभी सहित) तक सीमित करने और तदनुसार सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु के माध्यम से संशोधित भवन योजना के साथ आवेदन पुनः जमा करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने का निर्णय लिया।**

मामला संख्या 19

(श्रीमती टी. वेंकट रेणुका, नंबर 2/39, गार्डन वुड्रफ नगर, पेरुमल नगर के पास, 5वीं मुख्य सड़क, जमीन पल्लावरम, चेन्नई, तमिलनाडु-600117)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सर्वे नंबर 78/15ए,1ए2 भाग, प्लॉट नंबर 39 (उत्तरी भाग), जमीन पल्लावरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में **14.44 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ स्टिल्ट+3 मंजिलों के साथ स्टिल्ट=1एफ=2एफ= 3एफ=69.00 वर्गमीटर, हेडरूम क्षेत्र और लिफ्ट मशीन रूम=12.97 वर्गमीटर, चारदीवारी=01.52 मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियम एवं शर्तों का पालन करने के अध्यधीन अनुमति प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 20

(श्रीमती केपी विजयालक्ष्मी, नंबर 6, कलैग्नेर, नेदुनसलाई श्रीनिवास नगर, पीरकंकरनई, चेन्नई, तमिलनाडु - 63)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने 108/1यू1ए1बी, पीरकंकरणई, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में **14.47 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ स्टिल्ट+3 मंजिलों के साथ स्टिल्ट=1F=2F=3F=65.67 वर्ग मीटर, सीढ़ी कक्ष क्षेत्र=13.65 वर्ग मीटर, चारदीवारी = 01.53 मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियम एवं शर्तों का पालन करने के अध्यधीन अनुमति प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 21

(श्री सूर्यकांत, अदित्य रेजीडेंसी, 42 माइलस्टोन्स, मथुरा रोड, सेक्टर 143, सीकरी फ़रीदाबाद, हरियाणा)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने का निर्णय लिया :**

क) प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 15.00 मीटर तक सीमित होनी चाहिए। (सभी को सम्मिलित करते हुए)।

ख) फॉर्म-I/फॉर्म-II में, स्वामित्व की स्थिति संयुक्त स्वामित्व के रूप में उल्लिखित है, जबकि, संपत्ति दस्तावेज़ के अनुसार, इसका स्वामित्व एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास है।

आवेदक उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करते हुए प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी, हरियाणा के माध्यम से फिर से प्रस्तुत कर सकता है।

मामला संख्या 22

(विनोद कुमार सिंह, मकान नंबर 1951 सेक्टर-23ए, फ़रीदाबाद, हरियाणा)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने खेवट नंबर 309, खतौनी नंबर 329, रेक्ट नंबर 29, किला नंबर 16/2, 17, 24/2 और 25/2, भगोला, पलवल, हरियाणा में **15.00 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ भूतल के साथ जीएफ=4940.80 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति, फॉर्म IV जारी करने से पहले सक्षम प्राधिकारी को स्व-घोषणा (एनएमए वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप के अनुसार) जमा करने के अधीन, देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, हरियाणा की रिपोर्ट में उल्लिखित नियम एवं शर्तों का पालन करने के अध्यधीन अनुमति प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 23

(झरना मंडल, महलडांगा, लेगो, बांकुरा, पश्चिम बंगाल-722141)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने प्रस्तावित निर्माण के लिए आवेदक को ऊंचाई 07.50 मीटर (सभी सहित) तक सीमित करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने का निर्णय लिया।** आवेदक सक्षम प्राधिकारी, पश्चिम बंगाल के माध्यम से संशोधित भवन योजना के साथ आवेदन पुनः जमा कर सकता है।

मामला संख्या 24

(श्री संजय राफेल वर्गीस, निदेशक, सामग्री एवं खाद्य सुरक्षा, द इंपीरियल होटल, मालिकों के अधिकृत व्यक्ति, श्री हरदेव सिंह (50%), श्री गोविंद सिंह अकोई (25%) और श्री रायदेव सिंह अकोई (25%), प्लॉट संख्या ब्लॉक संख्या 124, जिसे होटल इंपीरियल के नाम से जाना जाता है, जन पथ, नई दिल्ली)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने मामले को **वापस भेजने का निर्णय लिया** और आवेदक को प्रस्तावित कार्य पर आगे विचार करने के लिए प्राधिकरण के समक्ष एक **प्रस्तुति देने के लिए कहा।**

मामला संख्या 25

(श्री अमित राजेशभाई सूर्यवंशी, स्वास्तिक रिफाइनरी वर्क्स, कंसारा बाजार, मानेक चौक, पोरबंदर, गुजरात-360575)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने मामले को **खारिज करने का निर्णय लिया** क्योंकि प्रस्तावित निर्माण स्थल केंद्रीय संरक्षित स्मारक (वह घर जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ था) के प्रतिषिद्ध क्षेत्र में आता है और एएमएएसआर अधिनियम 1958 (2010 में संशोधित) की धारा 20 ए (4) और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं है।

मामला संख्या 26

(डॉ. अर्जुन ए. राजा, नंबर 53/2बी, स्वाति तेजस अपार्टमेंट, नंदंबक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु-600089)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया और आवेदक को बिक्री विलेख दिनांक 30.08.1960 की एक प्रति प्रस्तुत करने के लिए कहा जैसा कि निपटान विलेख में उल्लेखित है, जिसमें विक्रेता द्वारा संपत्ति की खरीद का उल्लेख किया गया है, साथ ही नामान्तरण पत्र की एक प्रति सहित सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु के माध्यम से आवेदन फिर से जमा कर सकते हैं।

अनुपालन मामले

मामला संख्या 27

(श्री जी. जयराज, जी1, ज्ञानप्रकाशम अपार्टमेंट, खान स्ट्रीट, चूलैमेडु, जिला- चेन्नई, तमिलनाडु-600094)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने प्लॉट नंबर 1K, एस.नंबर 89/11, सिथलप्पाकम, तंबरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में **12.49 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ+2 मंजिलों के साथ जीएफ=69.75 वर्गमीटर, 1एफ=2एफ=80.04 वर्गमीटर, पोर्टिको क्षेत्र=10.29 वर्गमीटर, हेडरूम क्षेत्र=09.15 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियम एवं शर्तों का पालन करने के अध्यधीन अनुमति प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 28

(श्री एम. शंकर गणेश, नया नंबर 15, पुराना नंबर 6, कामराजार नगर, 4थ स्ट्रीट, चूलैमेडु, चेन्नई, तमिलनाडु-94)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने 37/28 सीथलप्पाकम, तांबरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में **13.60 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ स्टिल्ट+3 मंजिलों के साथ स्टिल्ट=42.50 वर्गमीटर, 1एफ=2=3एफ=232.44 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियम एवं शर्तों का पालन करने के अध्यधीन अनुमति प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 29

(श्री एस. लोगनाथन, नंबर 172/2, श्रीराम सलाई, सम्मधाम नगर, कुंद्राथुर, चेन्नई, तमिलनाडु - 600069)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने 315/8, कुंद्राथुर, कांचीपुरम, तमिलनाडु में **10.03 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ स्टिल्ट+2 मंजिलों के साथ स्टिल्ट=1F=2F=70.00 वर्गमीटर, हैड रूम क्षेत्र=10.40 वर्गमीटर, चारदीवारी=01.50 मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियम एवं शर्तों का पालन करने के अध्यधीन अनुमति प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 30

(श्री एस. मगेश्वर, नंबर 113, जी1 एलएसएस एन्क्लेव, पहली स्ट्रीट शांतिनिकेतन कॉलोनी, मदंबक्कम चेन्नई, तमिलनाडु- 600126)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने प्लॉट नंबर 16/सर्वेक्षण नंबर 1/10, संगोथियाम्मन कोइल 1 स्ट्रीट राजकिलपक्कम, तांबरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में **09.20 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ=1एफ= 152.29 वर्गमीटर,

हेडरूम=16.26 वर्गमीटर, चारदीवारी=01.50 मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियम एवं शर्तों का पालन करने के अध्यधीन अनुमति प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 31

(श्रीमती जी. देवी श्री (जीपीए), श्री राम्या और श्री रमेश कुमार (मालिक), नंबर 13/20, मुरुगन कोविल रोड, रोड स्ट्रीट, कुंद्राथुर, चेन्नई, तमिलनाडु-69)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने 342/1डी,1सी, कुंद्राथुर, कांचीपुरम, तमिलनाडु में **10.67 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ GF=1F=323.88 वर्गमीटर, हैडरूम क्षेत्र=56.69 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियम एवं शर्तों का पालन करने के अध्यधीन अनुमति प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 32

(दकामरि शंकर राव, पुत्र डी. लोवाराजू, डी.नं.1-239/3, टीचर्स कॉलोनी, रायुडुपालेम, काकीनाडा ग्रामीण, आंध्र प्रदेश - 533005)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने मामले को **वापस भेजने का निर्णय लिया** और आवेदक से स्व-घोषणा पत्र (एनएमए वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप के अनुसार) जमा करने के लिए कहा क्योंकि प्रस्तावित स्थल का पता स्व-घोषणा में उल्लिखित नहीं है। आवेदक तदनुसार सक्षम प्राधिकारी, आंध्र प्रदेश के माध्यम से सही स्थल पते के साथ संशोधित स्व-घोषणा फिर से जमा कर सकता है।

मामला संख्या 33

(श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा, 91 राधा रमण घेरा, वृन्दावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने आवेदक को प्रपत्र II में उल्लिखित अनुसार सक्षम प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश के माध्यम से प्रस्तावित भवन की 09.06 मीटर की ऊंचाई के साथ संशोधित भवन योजना प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने का निर्णय लिया।**

अतिरिक्त कार्यसूची

मामला संख्या 34

(श्रीमती गीता ग्रोवर, प्लॉट नंबर- ए-139, नीति बाग, नई दिल्ली)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने प्लॉट नंबर-139, ब्लॉक-ए, नीति बाग, नई दिल्ली-110049 में **18.00 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ बेसमेंट+स्टिल्ट+जीएफ+3 मंजिलों के साथ बेसमेंट=स्टिल्ट=जीएफ=1एफ=2एफ=3एफ=394.81 वर्गमीटर, बेसमेंट की गहराई=04.80 मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, एनसीटी दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियम एवं शर्तों का पालन करने के अध्यधीन अनुमति प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 35

(श्री रमन ओबेरॉय और श्रीमती शोभा ओबेरॉय, जे-93, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली-110049)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने जे-93, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली-110049 में **17.95 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ बेसमेंट+ स्टिल्ट+जीएफ+3 मंजिलों के साथ बेसमेंट=स्टिल्ट=जीएफ=1एफ=2एफ=3एफ=166.11 वर्गमीटर, बेसमेंट की गहराई=03.66 मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, एनसीटी दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियम एवं शर्तों का पालन करने के अध्यधीन अनुमति प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 36

(श्री फकरुद्दीन, प्लॉट नंबर 134/3, खसरा नंबर 108, ग्राम बेगमपुर, नई दिल्ली)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने मामले को **खारिज करने का निर्णय लिया** क्योंकि आवेदक के पक्ष में अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा बनाया गया त्याग पत्र उप-रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत

नहीं है। आवेदक इसका अनुपालन करने के बाद सक्षम प्राधिकारी, एनसीटी, दिल्ली के माध्यम से नए सिरे से आवेदन कर सकता है।

मामला संख्या 37

(श्री सुरिंदर पॉल गुप्ता और अन्य, 79, कैलाश हिल्स, नई दिल्ली)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **खारिज करने का निर्णय लिया:**

क) आवेदन श्री सुरिंदर पॉल गुप्ता और अन्य द्वारा दायर किया गया है जबकि फॉर्म-I/फॉर्म-II में स्वामित्व की स्थिति व्यक्तिगत स्वामित्व के रूप में उल्लिखित है।

ख) आवेदकों के स्वामित्व स्थापित करने वाले संपत्ति दस्तावेज संलग्न नहीं हैं।

उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद आवेदक सक्षम प्राधिकारी, एनसीटी दिल्ली के माध्यम से नए सिरे से आवेदन कर सकता है।

मामला संख्या 38

(फरीदा बानो, बेनहामा, लार, गांदरबल, जम्मू और कश्मीर)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने मामले को **खारिज करने का निर्णय लिया**, क्योंकि प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना निर्माण कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है, जो एएमएएसआर अधिनियम, 1958 (2010 में संशोधित) के उपबंधों और उसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन है।